न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—299 / 2017 / 225 आर.टी.एक्ट (2017 / 00299)

1. पूरनदास पुत्र स्व0 श्योजीदास पुत्र मोटादास
2. लक्ष्मणदास पुत्र स्व0 श्योजीदास पुत्र मोटादास
3. पुरूषोत्तमदास पुत्र स्व0 श्योजीदास पुत्र मोटादास
4. दीनदयाल पुत्र स्व0 श्योजीदास पुत्र मोटादास

सभी जाति स्वामी, निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. शिवराजदास पुत्र बजरंगदास
2. जमनादास पुत्र बजरंगदास

जाति दादूपंथी निवासी बडेसरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा।

3. गीतादेवी पत्नी मदनदास पुत्र श्योजीदास
4. शंभूदयाल पुत्र मदनदास पुत्र श्योजीदास
5. किशनदास पुत्र मदनदास पुत्र श्योजीदास
6. गीता पुत्री श्योजीदास पुत्र मोटादास
7. विमला पुत्री श्योजीदास पुत्र मोटादास
8. सुशीला पुत्री श्योजीदास पुत्र मोटादास
9. निर्मला पुत्री श्योजीदास पुत्र मोटादास

सभी जाति स्वामी, निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

10- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2016 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू, राजस्व वाद संख्या 82 / 2014

उपस्थितः—

1. श्री तेजेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदनलाल / भरत गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2
3. श्री भीया राम चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 10
5. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 8 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

1. यह अपील सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 82/2014 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 14.06.2016 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 10 के पूर्वज श्योजीदास के विरूद्ध एक वाद इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 1.07 हैक्टर व साबिक खसरा नम्बर 606 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो स्वर्गीय मोहनदास चेला बख्तावदास जाति साधू निवासी बिचून की पर्चे खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिस पर जब तक स्व0 मोहनदास ग्राम बिचून में रहे स्वयं काबिज काश्त रहे तथा ग्राम बिचून छोडकर ग्राम बडेसरा में वादीगण के पास रहने लगे तो उक्त आराजी को बांटे पर प्रतिवादी श्योजीदास से काश्त करवाते रहे। स्व0 मोहनदास की मृत्यु के बाद सभी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार वादीगण ने क्रियाक्रम किए। स्व0 मोहनदास के वारिस व उत्तराधिकारी वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ही है। इसलिए स्व0 मोहनदास की मृत्यु के बाद ग्राम बिचून में प्रतिवादी श्योजीदास के पास आए तथा प्रतिवादी श्योजीदास से कहा कि हम स्व0 मोहनदास के कानूनी वारिस हैं इसलिए विवादित आराजी का विरासत का नामांतरकरण हमारे नाम तस्दीक करवाना है जिस पर प्रतिवादी ने कहा कि नामांतरकरण तस्दीक करवाने का प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत के नाम लिख कर मुझे दे जाओं मैं तुम्हारे नाम करवा दूंगा, जिस पर वादीगण ने प्रार्थना पत्र लिखकर दे दिया तथा विवादित भूमि पर प्रविादी श्योजीदास द्वारा बांटे पर काश्त करने व बांटा देते रहने से संदेह नहीं किया। माह अप्रेल 2014 में वादीगण ग्राम बिचून आए तथा ऋण हेतु प्रतिवादी श्योजीदास से पटवारी हल्का से नकल दिलाने को कहा परन्तु वह टालता रहा जिस पर संदेह होने से वादीगण ने विरासत के नामांतरकरण की नकल ली जिसमें नामांतरकरण संख्या 637 प्रतिवादी श्योजीदास द्वारा स्व0 मोहनदास के बजाय मोटादास दर्ज करवा कर अपने नाम श्योजीदास चेला मोटादास के नाम से तस्दीक करवाने की जानकरी हुई। जिस पर प्रतिवादी श्योजीदास से विवादित आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम लगवाने को कहा तो प्रतिवादी श्योजीदास इंकार करने लगा तथा विवादित आराजी को विक्रय करने की धमकी दी इस लिए यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। इस कारण अपीलांट ने उक्त आधारों पर सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो गया जिसकी विरासत की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का से जमावंदी प्राप्त करने गए तब ज्ञात हुआ कि उक्त प्रकरण मं उक्त खसरा नम्बर पर वाद एवं स्थगन है। जिस पर प्रार्थीगण न्यायालय में दिनांक 22.11.2017 को न्यायालय में आकर पत्रावली की जानकारी कर वकील साहब से मिले तब उन्होंने प्रकरण की जानकारी दी एवं प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित होना बताया एवं उक्त आदेश के विरूद्ध चाराजोही करने की विधिक राय प्रदान की जिस पर प्रार्थीगण ने उसी दिन दिनांक 24.11.2017 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 27.11.2017 को नकल प्राप्त की एवं रूपए पैसों का बंदोबस्त कर दिनांक 1.12.2017 को अजमेर आए एवं वकील नियुक्त कर जानकारी कर सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स के पिता को ही उक्त प्रकरण की जानकारी थी एवं वे ही तारीख पेशी पर आते थे परन्तु अपीलांट्स को उक्त प्रकरण व पेशीयों की जानकारी पिता द्वारा नहीं दी गई। अपीलांटस के पिता वृद्ध अवस्था में होने से बीमार हो गए जिससे उनका देहान्त होने पर विरासत हेतु पटवारी हल्का के पास गए तो वाद एवं स्थगन की जानकारी हुई एवं न्यायालय में ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा मनगढंत दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया जबकि विवादित भूमि अपीलांटस के पिता की भूमि है जिस पर रेस्पोडेंट का कोई हक अधिकार नहीं है लेकिन तथ्यों को देखे बिना तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए बिना अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प में साईक्लोस्टाईल आदेश से निर्णय पारित किया। विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 606 अपीलांट्स के पूर्वज मोटादास की खातेदारी की भूमि थी जो कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 लगायत 2014 में मोटादास चेला बख्तावरदास के नाम दर्ज थी परन्तु मिसल बंदोबस्त में मोहनदास नाम अंकित कर दिया गया जिसकों भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा दिनांक 5.2.66 को दुरूस्ती के आदेश प्रदान किए एवं जिसकी ताईद में नामांतरकरण संख्या 627 दिनांक 22.05.66 को स्वीकृत किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में मोटादास पुत्र बख्तावरदास के नाम खातेदारी चली आ रही थी। मोटादास के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र श्योजीदास के नाम जरिए विरासतन दर्ज हुई। विवादित भूमि पर पूर्व में अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे हैं। रेस्पोडेंट द्वारा झूठे एवं मनगढंत तथ्यों पर वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है यदि अपीलांटस को पाबंद कर दिया गया तो अपीलांटस अपने हक व अधिकारों से वंचित होंगे जो कि प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, (फास्ट ट्रेक) दूदू के आदेश दिनांक 14.06.2016 द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 ने दौराने बहस कथन किया कि यह की हाल वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 171 रकबा 1.07 हैक्टेयर उसके साविक खसरा नम्बर 606 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम बिचून तहसील मौजमावाद जिला जयपुर में स्थित है जो स्वर्गीय मोहनदास चेला बख्तावदास जाति सादू दादूपंथी निवासी बिचून की पर्चे खातेदार कब्जे काश्त की थी जिस पर पूर्व में स्वर्गीय मोहनदास काबिज काश्त थे तथा उसके बाद मोहनदास प्रार्थीगण के पास निवास करने लगे तब से वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेंट 1 व 2/ प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से बाटे पर काश्त करवाते आ रहे हैं। खातेदार मोहनदास की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाक्रम रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण द्वारा ही सम्पन्न किया गया स्वर्गीय मोहनदास के उत्तराधिकारी रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण ही हैं रेस्पोडेंट 1 व 2/प्रार्थीगण स्वर्गीय मोहनदास की विरासत का नामांतरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र देने हेतु गांव बिचून में आए तब अप्रार्थी ने कहा कि प्रार्थना पत्र हमें दे दो हम आपके नाम पंचायत से नामांतरण करवा देंगे फिर अप्रार्थी श्योजीदास ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर नामांतरण मोटादास के नाम दर्ज करवाकर अपने नाम श्योजीदास चेला मोटादास गलत रूप से दर्ज करवा लिया उक्त गलत अंकन को आधार बनाकर अप्रार्थीगण/अपीलांट रेस्पोडेंट 1 व 2 /प्रार्थीगण कि पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की जमीन को रहन बेचान करने पर उतारू हो गए तब प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा 212 प्रार्थना पत्र पेश किया अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व कानूनी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुए प्रथम दृष्टया रेस्पोडेंट 1 व 2/प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त आराजी को लेकर इसी प्रकार की वाद बाहुल्यता नहीं बढे को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश कि गई है जो संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. सर्वप्रथन हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं तत्पश्चात् हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निरस्तारण करना उचित समझते हैं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वं प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं होकर अपीलांट के पिता श्योजीदास चेला भेरादास पक्षकार संयोजित था इसलिए प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होना संभव नहीं था प्रार्थी/अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 में जो कारण अंकित किए हैं व सदभाविक

हैं तथा मियाद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते हैं अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुती में हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करने के आदेश प्रदान करते हैं।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया वाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट जो एक रिकार्डेड खातेदार कश्तकार है को किसी प्रकार का नोटिस दिए बिना पारित किया है रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 प्रावधानों के विपरीत है। अतः उपरोक्त कारणों से सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 82/2014 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 के निर्णय को निरस्त करना उचित समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 82/2014 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर सभी पक्षकारों को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए 30 दिवस में पुनः आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में सप्ताह भर की चार तारीख पेशी दी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.11.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर